II – 157
C. J.

Witness No .... **04** .... for .... अभियोजन साक्षी .... Deposition taken the .... 19/11/2025 .... day of .... Witness's apparent age ...... 44 वर्ष .... States on affirmation .... शपथपूर्वक .... my name is ....नारायण प्रसाद **......** ...... Son of ....स्व. रामलाल सोनवानी .... occupation .... मजदूरी .... address .... ग्राम–कोटमीसोनार, थाना अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ...

समय 13:22 बजे।

मुख्य परीक्षण द्वारा **श्री संदीप बनाफर** लोक अभियोजक वास्ते **अभियोजन**

1. मै VC से उपस्थित आरोपी ईश्वर निर्मलकर एवं हाजिर अदालत आरोपी नंद कुमारी निर्मलकर को पहचानता हूं । आरोपीगण मेरे गांव कोटमीसोनार के निवासी है । आहत/प्रार्थी गोविंद राम पटेल को भी जातना हूं, वह भी मेरे गांव का निवासी है ।

2. घटना आज से लगभग 05–06 माह पूर्व की है मै थाना अकलतरा गया था । तभी पुलिस वाले आरोपी ईश्वर निर्मलकर के पेश करने पर एक बांस का डण्डा 10 गठान वाला जप्त कर जप्ती पत्रक **प्र.पी.** 03 तैयार किये थे, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है । साक्षी को जप्तशुदा डण्डा दिखाये जाने पर वहीं डण्डा होना बताया जिसे पुलिस वाले आरोपी ईश्वर निर्मलकर से जप्त किये थे, जप्तशुदा डण्डा को **आर्टिकल ए–1** से चिन्हित किया गया है । पुलिस वाले जिस समय जप्ती की कार्यवाही किये थे उस समय मेरे अतिरिक्त बद्री प्रसाद ने जप्ती पत्रक प्र.पी. 03 में अपना हस्ताक्षर किया था ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा **श्री कामता नाथ कौशिक** अधिवक्ता वास्ते **अभियुक्तगण**

3. यह कहना सही है कि बांस के डण्डा की जप्ती की कार्यवाही मेरे समक्ष हुई थी। यह कहना सही है कि जप्तशुदा डण्डा को आरोपी ईश्वर निर्मलकर अपने साथ लेकर आया था तब मै थाने में उक्त डण्डा को देखा था । यह कहना सही है कि डण्डा जप्ती के समय उक्त डण्डे में लाल धब्बे के निशान दिख रहे थे । यह कहना गलत है कि जप्ती पत्रक **प्र.पी.** 03 को पुलिस वाले मुझे पढ़कर नहीं सुनाये थे । यह कहना गलत है कि जप्ती पत्रक को पुलिस ने पहले से ही तैयार कर लिया था और उनके कहने पर मैने जप्ती पत्रक में हस्ताक्षर किया था । यह कहना गलत है कि आरोपी ईश्वर निर्मलकर से डण्डा जप्त नहीं किया गया है ।

4. यह कहना सही है कि जब मै थाने गया था तब थाने में पुलिस वाले ने मुझे जप्ती पत्रक में साक्षी बनाया था ।

समय 13:32 बजे।

साक्षी को पढ़कर सुनाया, समझाया गया
सही होना स्वीकार किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–
(शक्ति सिंह राजपूत)
सत्र न्यायाधीश
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

सही/–
(शक्ति सिंह राजपूत)
सत्र न्यायाधीश
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

सही/–
साक्षी का हस्ताक्षर